

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्यय अनुभाग)

क्रमांक : प.10(3)वित्त-1(1)/आ.व्य./2025

दिनांक : 13.01.2026

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अ.शा.टीप एवं परिपत्र दिनांक 07.01.2026 के क्रम में दिनांक 11-13 जनवरी 2026 को प्रभारी मंत्रीगणों द्वारा बैठक लिये जाने के कारण दिनांक 19 जनवरी, 2026 से 20 जनवरी, 2026 तक आयोजित होने वाली बैठकों को पृथक से आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। सूचनार्थ प्रेषित है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव.....
3. शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
4. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1, 2, 3, 4, 5) विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. संबंधित विभागाध्यक्ष।
9. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) को सूचनार्थ।
11. श्रीमती चेतना राठौड़, सलाहकार (मोबाईल नं. 8824148644)।
12. रक्षित पत्रावली।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)